नेमह. धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :– 66/2018 (जी.सी.एम.एस नम्बर 2018/00027)

उनवानी प्रकरण :–

निरजंन पुत्र स्व0 अतरसिंह उम्र करीब 38 वर्ष जाति बघेला निवासी ग्राम डौढ का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————प्रार्थी

बनाम

1–पन्नो बेवा महाराजसिंह " फौत "

1/1– कमला पुत्री पन्नो पत्नी सुरेश जाति गडरिया निवासी ग्राम कुकंरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

2–आवंटन सलाहकार समिति ग्राम सिकरौंदा तहसील बाडी जरिये अध्यक्ष आवंटन कमेटी,

3–राकेश पुत्र भरतसिंह जाति गडरिया निवासी ग्राम डौढकापुरा मजरा सिकरौंदा तहसील बाडी ———————————अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री निशान्त भार्गव एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से :– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 13.05.2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम सिकरौंदा तहसील बाडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 890 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा नियमन अप्रार्थी संख्या–1 के हक में होना बताते हुये उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या–1 का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा न ही उसके हक में कोई नियमन आदेश पारित हुआ। कथित नियमन के आधार पर जो नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या–1 के हक में दर्ज किया गया उसमें नियमन दिनांक 17.11.77 बताई गई जबकि इस प्रकार का कोई आदेश अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजी सरकारी भूमि नहीं थी बल्कि देवहंस वगैरा की खातेदारी की आराजी थी जिसे प्रार्थी के पूर्व पुरूषों ने देवहंस वगैरा से काश्त पर करीव 45–50 वर्ष पूर्व प्राप्त किया था तभी से प्रार्थी के पूर्व पुरुष उस पर काश्त करते रहे तथा वर्तमान में प्रार्थी काश्त कर रहा है। बंदोबस्त ने

उसे गलत रूप से सरकारी भूमि घोषित कर दिया। इस प्रकार कथित नियमन अवैध है। अप्रार्थी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा न ही वर्तमान में है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में हुए विवादित नियमन को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिरा इरा आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उजदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्य 3 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सिकरौदा तहसील बाडी स्थित आराजी खसरा न0 890 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा का नियमन अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पूर्णतः वैधरूप से हुआ था तथा बैध नियमन के अनुसरण में ही अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदारी तथा खातेदारी इन्दाजात अंकित किये गये थे जिसको किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता। उत्तरदाता का विवादित आराजी पर जरिये नियमन पूर्णतः वैध स्वत्व एवं कब्जा बक्त नियमन से है तथा बैध नियमन को तथा कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए ही उत्तरदाता के पक्ष में खसरा नं. 890 बांके ग्राम सिकरौदा पर जरिये नामान्तकरण सं. 141 गैर खातेदारी अधिकार तथा जरिये नामान्तकरण सं. 329 खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे तथा उत्तरदाता के पक्ष में दिनांक 17.11.1977 को नियमन हुआ था तथा नियमन की दिनांक से करीब 43 वर्ष पश्चात राजस्व अभिलेखागार में नियमन पत्रावली नहीं मिलती है तो उसका उत्तरदायी उत्तरदाता नहीं है। विवादित आराजी का गत खसरा नं. 364 था जो कई बटा नम्बरों में विभाजित था तथा जो देवहंस की खातेदारी में कभी नहीं था तथा ना ही जिसको किसी व्यक्ति द्वारा सिकमी कास्त पर लिया जा सकता था तथा बन्दोवस्त में हुये इन्द्राजात पूर्णतः वैध है तथा नियमन भी पूर्णतः वैध है। प्रार्थना पत्र में विवादित खसरा नं. 890 की उत्तरदाता खातेदार कास्तगार है तथा विवादित भूमि पर खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थना पत्र 14(4) एल.आर.एक्ट पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी ने अपने विशेष कथन में यह अंकित किया है, कि प्रार्थी लटठ एवं चलाव वाले व्यक्ति है तथा जिनके मन में उत्तरदाता एवं उत्तरदाता की भूमि के सम्बध में बदनीयती आ चुकी है। उत्तरदाता एक असहाय गरीब व निसंतान विधवा महिला है। जिसकी खातेदारी के खसरा नं. 890 पर प्रार्थी अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है तथा साजिसान हल्का पटवारी से अवैध रिपोर्ट के आधार पर जरिये प्रार्थना पत्र उत्तरदाता की खातेदारी निरस्त कराना चाहते है। उत्तरदाता को जरिये नियमन गैरखातेदारी अधिकार जरिये नामान्तकरण सं. 141 दिनांक 12.12.1978 को प्राप्त हुए थे तथा खातेदारी अधिकारी दिनांक 25.06.1989 को जरिये नामान्तकरण सं. 329 प्राप्त हुए थे तथा नियमन को खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के 43 वर्ष के पश्चात आक्षेपित कानूनन नहीं किया जा सकता है। खातेदारी की कृषि भूमि पर राज. कास्तकारी अधिनियम के प्रावधान ही लागू होते है तथा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। आवंटित या नियमित भूमि पर आवंटन एवं नियमन के पश्चात किसी भी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण

किये जाने पर ना तो अतिकमी व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आता है तथा ना ही अतिक्रमी किसी भी आवंटन एवं नियमन को अवैध कब्जे के आधार पर आक्षेपित एवं निरस्त कराने का अधिकारी ही होता है। गत खसरा नं. 364 बांके ग्राम सिकरौदामें से बंदोबस्त विभाग ने कई अन्य नये नम्बर कायम किये थे तथा गत खसरा नं. 364 की किस्म पूर्वानुसार सिवायचक सरकारी अंकित की थी तथा उत्तरदाता सं. 01 के अलावा उक्त खसरा नं. 364 में से बने अन्य हाल खसरा नम्बरों का नियमन गांव के अन्य दीगर व्यक्तियों के पक्ष में भी हुआ था जो वर्तमान में बतौर खातेदार कास्तकार के काबिज काश्त है। प्रार्थी ने दुर्भावना पूर्वक मात्र उत्तरदाता के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि तहसीलदार बाडी को भेजकर उनकी टिप्पणी प्राप्त की गई। तहसीलदार बाडी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 02.8.2018 में रिपोर्ट पटवारी संलग्न करते हुये अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 890 ग्राम सिकरौंदा में पन्नो पत्नी महाराजसिंह कौम गडरिया सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है जिस खाते पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.)एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1 बाडी दिनांक 28.09.2017 से रिकार्ड की यथास्थिति बावत स्थगन आदेश लगा हुआ है। उक्त भूमि पर वर्तमान में निरंजन पुत्र अतरसिंह जाति गडरिया निवासी ढोडिकापुरा का कब्जा है। मौका पर्चा पत्र के साथ संलग्न किया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम सिकरौंदा सम्वत् 2071–2074, नकल नामान्तकरण ग्राम सिकरौदा, नकल खसरा ग्राम सिकरौंदा, नकल खसरा सम्बत 2029–30, नकल प्रार्थना पत्र प्रति नियमन आदेश प्राप्त करने बावत आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2017, नकल खसरा सम्बत 2031 से 2034, नकल खसरा सम्बत 2035 से 2037, प्रमाणित प्रति पृष्ठ संख्या 46 से 55 रजिस्टर आवंटन सलहाकार समिति बाडी ग्राम मरहोली पेश किये है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के अभिभाषक ने अपने जबाव के समर्थन में प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 890,891,892,893,894,895,896,897 ग्राम सिकरौंदा, प्रमाणित प्रति नामा0 संख्या 141 ग्राम सिकरौंदा, नामान्तकरण संख्या 329 ग्राम सिकरौंदा, नामान्तकरण संख्या 707 ग्राम सिकरौंदा, नामान्तकरण संख्या 77 ग्राम सिकरौंदा, नामान्तकरण संख्या 78 ग्राम सिकरौंदा नकल जमाबन्दी खाता संख्या 149 सम्वत् 2014 से 2017 ग्राम सिकरौंदा, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 887,888,889 ग्राम सिकरौंदा, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 152 सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम सिकरौंदा, प्रमाणित फोटो प्रति आवंटन सूची तारीखी 28.11.77 ग्राम सिकरौदा व अन्य, सत्य प्रति रजिस्टर्ड वसीयत तारीखी 20.12.1991 वहक राकेश पुत्र भरतसिंह उप पंजीयक कार्यालय बाडी पेश किये है।

प्रकरण में दौराने विचाराधीन प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या–1 का निधन हो जाने पर उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1/1 कमला को पक्षकार प्रकरण बनाया गया तथा अप्रार्थी संख्या–3 राकेश की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. पेश किया जिसमें मृतक अप्रार्थी पन्नो द्वारा राकेश के पक्ष में उक्त खसरा नम्बर 890 की रजिस्टर्ड वसीयत अन्य कृषि भूमि के साथ

दिनांक 20.12.1991 को उप पंजीयक कार्यालय बाडी में निष्पादित करने जरिये उक्त वसीयत राकेश को विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी एवं हित निहित होने के कारण अप्रार्थी संख्या–3 राकेश को पक्षकार प्रकरण बनाया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का नियमन अप्रार्थी संख्या–1 के हक में होना बताते हुये उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या–1 का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा न ही उसके हक में कोई नियमन आदेश पारित हुआ। कथित नियमन के आधार पर जो नामान्तकरण अप्रार्थी के हक में दर्ज किया गया उसमें नियमन दिनांक 17.11.77 बताई गई जबकि इस प्रकार का कोई आदेश अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजी सरकारी भूमि नहीं थी बल्कि देवहंस वगैरा की खातेदारी की आराजी थी जिसे प्रार्थी के पूर्व पुरूषों ने देवहंस वगैरा से काश्त पर करीब 45–50 वर्ष पूर्व प्राप्त किया था तभी से प्रार्थी के पूर्व पुरूष उस पर काश्त करते रहे तथा वर्तमान में प्रार्थी काश्त कर रहा है। बंदोबस्त ने उसे गलत रूप से सरकारी भूमि घोषित कर दिया। इस प्रकार कथित नियमन अवैध है। अप्रार्थी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा न ही वर्तमान में है। आवंटन कमेटी की मीटिंग वास्ते नियमन हेतु दिनांक 28.11.77 को होना अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है। नियमन कमेटी की मीटिंग की जो सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है उसमें भी सदस्यों का कोरम पूर्ण नहीं है तथा न ही किसी जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी का नियमन की गई आराजी पर कब्जा नहीं रहा। प्रकरण में तहसीलदार बाडी से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। जब अप्रार्थी का कब्जा ही नहीं है जिस कारण अप्रार्थी द्वारा नियमन की शर्तो की पालना नहीं की है। अप्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति नहीं थी उसे नियमन का पात्र नहीं माना जा सकता तथा न ही उसे नियमन किया जा सकता है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में **Rajsthan Land Revenue (Allotment Of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970 Rule 13 Page 247,** आर.बी.जे. 2020 पेज संख्या 703, आर.आर.डी.1980 पेज 596, आर.बी.जे. 2017 पेज 446, आर.बी.जे. 2020 पेज 660, आर.आर.टी.2021(1) पेज 212,124, आर.आर.टी. 2021(ii)1141, आर.बी.जे. 2020 पेज 650 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हुए तथाकथित नियमन को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का नियमन अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पूर्णतः वैधरूप से हुआ था तथा बैध नियमन के अनुसरण में ही अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में गैर खातेदारी तथा खातेदारी इन्दाजात अंकित किये गये थे जिसको किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी का नियमन पूर्णतः वैध स्वत्व एवं कब्जा बक्त नियमन से है तथा बैध नियमन को तथा कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए ही अप्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण सं. 141 गैर खातेदारी अधिकार तथा नामान्तकरण सं. 329 खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। नियमन को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के 43 वर्ष के पश्चात आक्षेपित कानूनन नहीं किया जा सकता है। खातेदारी की कृषि भूमि पर राज. कास्तकारी अधिनियम के प्रावधान ही लागू होते है

तथा भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। आवंटित या नियमित भूमि पर आवंटन एवं नियमन के पश्चात किसी भी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर ना तो अतिक्रमी व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आता है तथा ना ही अतिक्रमी किसी भी आवंटन एवं नियमन को अवैध कब्जे के आधार पर आक्षेपित एवं निरस्त कराने का अधिकारी ही होता है। अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी तर्क दिया कि जहॉं एक ही भूमि में से कई व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन एवं नियमन किया गया हो तथा सभी व्यक्तियों के आवटंन एवं नियमन को आक्षेपित नहीं किया गया हो वहां समानता के अधिकार का उल्लंधन माना जावेगा तथा प्रार्थना पत्र ऐसी स्थिति में खारिज होगा। तकनीकी आधार पर 35 वर्ष वाद आवंटन निरस्त करना उचित नहीं है। अतिकमण करने वाले का भूमि पर कब्जा होने के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर. टी.2011(1)पेज 715,आर.आर.टी.2011(11)पेज1205,आर.आर.टी.2014(11)पेज759, आर.आर. टी.2008(11)पेज 834, आर.आर.टी.2011(1)पेज 270, आर.आर.टी.2012(1)पेज 652, आर. आर.टी.2018(1)पेज 1007, आर.आर.टी.2014(11)पेज 1150, के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) नियम विरूद्व होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित फोटोप्रति दिनांक 28.11.77 को भू–आवंटन सलाहकार समिति तहसील वाडी की मीटिंग ग्राम मरहोली तहसील बाडी के आवटंन रजिस्टर की सूची पेश हुई है उसमें करीव 81 व्यक्तियों को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त सूची में कम संख्या 53 पर अप्रार्थी संख्या–1 पन्नो वेवा महाराजसिंह को विवादित आराजी खसरा नम्बर 890 रकवा 1बीघा 16 विस्वा भूमि का नियमन किये जाने के अंकन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी को विवादित आराजी का भू–आवटंन सलाहकार समिति तहसील बाडी द्वारा नियमन किया गया है और यह भी स्पष्ट होता है कि वरवक्त आवटंन/नियमन उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक थी जो आवंटन योग्य थी। प्रार्थी का यह कथन है कि उक्त आराजी का अप्रार्थी पन्नो वेवा महाराजसिंह का गैरखातेदारी नामान्तकरण संख्या 141 ग्राम सिकरौंदा खोला गया है उसमें नियमन दिनांक 17.11.77 अंकित है तथा नियमन कमेटी की मीटिंग की जो सूची पेश हुई है उसमें भी सदस्यों का कोरम पूर्ण नहीं है तथा न ही किसी जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 28.11.1977 को हुये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से करीव 41 वर्ष पश्चात पेश किया है। आर.आर.टी.2011(1)पेज 715,आर. आर.टी.2011(11)पेज1205,आर.आर.टी.2014(11)पेज759 पर यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी तकनीकी आधार पर 35 वर्ष वाद आवंटन/नियमन को निरस्त करना उचित नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया है कि विवादित आराजी सरकारी भूमि नहीं थी बल्कि देवहंस वगैरा की खातेदारी की आराजी थी जिसे प्रार्थी के पूर्व पुरूषों ने देवहंस वगैरा से काश्त पर करीव 45–50 वर्ष पूर्व प्राप्त किया था बंदोबस्त ने उसे गलत रूप से सरकारी भूमि घोषित कर दिया जिसके कारण कथित नियमन अवैध है। नियम 14(4) के आधीन आवंटन नियम 1970 की कार्यवाही में

बन्दोवस्त की कोई कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती है। नियम 14(4) में बन्दोबस्त विभाग की किसी कार्यवाही को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। कानूनन महकमा बन्दोबस्त की किसी भी कार्यवाही को केवल नियमित वाद दायर करके ही सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज किया जा सकता है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय 1993 आर आर डी पेज 417 में प्रतिपादित किया है। आवंटी द्वारा आवंटन/नियमन नियमों की पालना करने के पश्चात ही अप्रार्थी को आवंटित/नियमन आराजी पर नियमन गैरखातेदारी अधिकार जरिये नामान्तकरण सं. 141 दिनांक 12.12.1978 को प्राप्त हुए तथा खातेदारी अधिकार दिनांक 25.06.1989 को जरिये नामान्तकरण सं. 329 प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात नियम 14(4)भूमि आवंटन नियम 1970 के द्वारा खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने 1986 आर आर डी पेज 137 एवं आर आर डी 1987 पेज 371 पर प्रतिपादित किया है। आवंटी को आवटंन/नियमन हुई आराजी पर अतिक्रमी को कोई अधिकार नहीं है और अतिक्रमी के कब्जे में भूमि होने से न तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है न अपीलान्ट को कोई अनुतोष दिया जा सकता है जैसा कि आर आर टी 2011(1) पेज 270 पर प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व नजीरों से हम पूर्णतः सहमत है। उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना व आवंटन यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 28.11.1977 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी.)
जिला कलक्टर
धौलपुर